

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.08.2022 जनपद देवरिया

ऑपरेशन शिकंजा" के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रकरण में 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

“ऑपरेशन शिकंजा” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मदनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-474/2012 धारा-147,148,149, 302,307,323 भादवि में अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र कुशवाहा पुत्र परमहंश कुशवाहा 2.बबलू उर्फ रमाशंकर पुत्र बिक्स 3.हरिशंकर पुत्र रामसनेही 4. दिनेश कुशवाहा पुत्र श्यामबिहारी कुशवाहा 5.सलहन्ती देवी पत्नी उमेश कुशवाहा 6. रीता कुशवाहा पत्नी इन्द्रजीत कुशवाहा निवासीगण-बहसुआ थाना मदनपुर जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 03.08.2022 को सश्रम आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।